HAPUR POLICE

प्रेस नोट

थाना - बाबूगढ **दिनांक 30.01.2025**

"थाना बाबूगढ पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का किया खुलासा"

- **थाना बाबूगढ पुलिस ने थाना क्षेत्रान्तर्गत के ग्राम उपैडा के जंगल में मिले अज्ञात शव की घटना का सफल अनावरण करते हुए हत्यारोपी दोस्त को किया गिरफ्तार।**
- **जिसके कब्जे/निशानदेही पर मृतक का मोबाइल फोन व घड़ी, आलाकत्ल ईंट (खूनालूदा), प्रेस आईडी कार्ड, एक गोल माईक तथा घटना में प्रयुक्त कार व एक अन्य मोबाइल फोन बरामद।**
- **गिरफ्तार अभियुक्त व मृतक दोस्त थे, अभियुक्त ने योजनाबद्ध तरीके से उधार के करीब 02 लाख रुपये हड़पने के उद्देश्य से वीरेन्द्र के सिर पर ईंट से वार कर उसकी हत्या कर दी थी।**

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 12/13.01.2025 को थाना बाबूगढ़ क्षेत्रांतर्गत ग्राम उपैडा के जंगल में एक अज्ञात शव मिला था, उक्त सूचना पर तत्काल उच्चाधिकारीगण, फॉरेंसिक टीम व स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था तथा शव की शिनाख्त कर घटना में संलिप्त अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी/अनावरण करने हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीमें गठित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये थे।

विवेचनात्मक कार्यवाही में मृतक की शिनाख्त वीरेन्द्र राय निवासी ग्राम रोवागोवा जनपद बस्ती व हाल निवासी सैक्टर 22 रोहिणी नई दिल्ली के रुप मे हुई तथा घटना में संलिप्त एक अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया।

कार्यवाहीः-

हापुड़ पुलिस द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बाबूगढ़ पुलिस द्वारा थाने मु0अ0सं0 09/2025 धारा 103(1), 238 बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे/निशानदेही पर मृतक का मोबाइल फोन व घड़ी, आलाकत्ल ईंट (खूनालूदा), प्रेस आईडी कार्ड, एक गोल माईक तथा घटना में प्रयुक्त कार व एक अन्य मोबाइल फोन बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बाबूगढ पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारी का स्थानः- सोना पैट्रोल पम्प चौराहे के पास, **दिनांकः-** 29.01.2025

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्त विकास ने पूछताछ करने पर बताया कि वर्ष 2022 में मैं हत्या के केस में दिल्ली तिहाड जेल में बन्द था, उसी समय जेल मे मेरे साथ मृतक वीरेन्द्र भी बन्द था। जिससे मेरी दोस्ती हो गयी थी, जेल से छूटने के बाद वीरेन्द्र प्रोपर्टी डीलिंग का काम करने लगा और मैं भी उसके साथ ही प्रोपर्टी का काम करने लगा तथा मैं प्रोपर्टी के साथ पत्रकार का भी काम करने लगा। मैं खाने-पीने का शौकीन था जिससे मेरा खर्चा अधिक था, तो मैं वीरेन्द्र से ही रुपये ऊधार ले लेता था, मेरे ऊपर वीरेन्द्र के काफी रुपये ऊधार थे। वीरेन्द्र अब मुझसे अपने रुपये वापस मांगने का दबाव बना रहा था, लेकिन मेरे पास रुपये नही थे और उसके रुपये न देने का मेरे मन मे लालच आ गया कि यदि वीरेन्द्र कुमार को मार दिया जाये तो उसके करीब 02 लाख रुपये नहीं देने पडेगें। तब मैंने दिनांक 12.01.2025 को वीरेन्द्र को पहले शराब पिलायी तथा उसके बाद अपनी कार में बैठाकर बाबूगढ क्षेत्र में लाकर उसके सिर पर ईंट से वार हत्या कर दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

विकास तोमर पुत्र सुखवीर निवासी ग्राम बामनोली थाना दोघट जनपद बागपत व हाल पता सैक्टर 105 राजेन्द्र पार्क विष्णु गार्डन निकट सूरज पब्लिक स्कूल गुडगांव।

बरामदगी का विवरणः-

1. आलाकत्ल (ईंट खूनालूदा)।
2. मृतक का मोबाइल फोन व घडी।
3. प्रेस आईडी कार्ड व एक गोल माईक (ANV NEWS)
4. घटना मे प्रयुक्त आई 10 कार रजि0 नं0 यूपी 17 एल 7974 व एक अन्य मोबाइल फोन।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 59/2004 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना तिमारपुर दिल्ली।
2. मु0अ0सं0 134/2011 धारा 120बी/392/411 भादवि थाना महेबाघाट जनपद कौशाम्बी।
3. मु0अ0सं0 658/2008 धारा 302/365/392/411/120बी भादवि थाना शकरपुर ईस्ट दिल्ली।
4. मु0अ0सं0 318/2020 धारा 302/364/397/201/120बी भादवि थाना विजय विहार दिल्ली।
5. मु0अ0सं0 09/2025 धारा 103(1)/238 बीएनएस थाना बाबूगढ जनपद हापुड।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. थानाध्यक्ष श्री विजय कुमार गुप्ता थाना बाबूगढ जनपद हापुड।
2. उ0नि0 श्री राहुल सिसौदिया थाना बाबूगढ जनपद हापुड।
3. उ0नि0 श्री संजय सिंह थाना बाबूगढ जनपद हापुड।
4. उ0नि0 श्री विपिन कुमार वर्मा थाना बाबूगढ जनपद हापुड।
5. उ0नि0 श्री अंकित कुमार थाना हाफिजपुर जनपद हापुड।
6. म0उ0नि0 सात्वना थाना बाबूगढ जनपद हापुड।
7. है0का0 653 आदेश कुमार थाना बाबूगढ जनपद हापुड।
8. है0का0 660 मनीष कुमार थाना बाबूगढ जनपद हापुड।
9. है0का0 427 अंकुर धामा थाना बाबूगढ जनपद हापुड।
10. है0का0 201 रोहित कुमार सर्विलांस सैल जनपद हापुड।

नोटः- *उक्त घटना का सफल अनावरण करने वाली पुलिस टीम को उत्साहवर्धन हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 10,000/- रुपये का नगद पुरुस्कार दिया गया।*